भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 807956

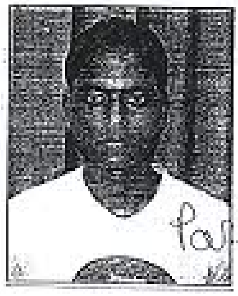

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि— रू0 20,08,604 /—

बाजारू मूल्य — रू0 3,85,200 /—

अदा किये गये जनरल स्टैम्प— रू0 1,00,450 /—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — मोहनलालगंज
3. ग्राम — सौनई कजेहरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 807957

4. सम्पत्ति का विवरण –भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.885 हे0, भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 1.275 हे0, कुल रकबा 2.160 हे0 का 1/3 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.720 हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.214 हे0 स्थित ग्राम– सौनई कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.214 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ

Parikshit

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 807969

से लगभग 200 मी0 से अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थिति – कुछ नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है।

<u>चौहददी खसरा नं0 212</u>

उत्तर	: खसरा नं0–129
दक्षिण	: खसरा नं0– 241
पूरब	: खसरा नं0– 190,184
पश्चिम	: खसरा नं0– 213

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 807970

17 APR 2017

<u>चौहद्दी खसरा नं0 213</u>

उत्तर	: खसरा नं0– 129
दक्षिण	: खसरा नं0– 220, 214
पूरब	: खसरा नं0– 212, 241
पश्चिम	: खसरा नं0– 247, 246

Parikshit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 869319

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती तारावती पत्नी राजेन्द्र निवासिनी–उसरी, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	परीक्षित पुत्र सर्वजीत निवासी ग्राम–कपेरा मदारपुर, मोहनलालगंज जिला लखनऊ।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

तारावती

Pariksht

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 869320

यह विक्रय विलेख श्रीमती तारावती पत्नी राजेन्द्र निवासिनी–उसरी परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् परीक्षित पुत्र सर्वजीत निवासी ग्राम–कपेरा मदारपुर, मोहनलालगंज जिला लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया। क्रेता व विक्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान व निष्पादकगण आदि सम्मिलित है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 869321

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 212 रकबा 0.885 हे0, भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 1.275 हे0, कुल रकबा 2.160 हे0 का 1/3 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.720 हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.214 हे0 स्थित ग्राम– सौनई कजेहरा, परगना व तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00024 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का

Parikshit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 869322

अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा पैसे की सख्त आवश्यकता के कारण क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के

Parikshit

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 776787

भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क

इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 20,08,604/- (रू0 बीस लाख आठ हजार छः सौ चार मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगें।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

Parikshit

विक्रय पत्र

2,008,604.00 /	**385,200.00**	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती तारावती
पत्नी श्री राजेन्द्र
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी उसरी प.बिजनौर त.व जि-लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/4/2012 समय 4:35PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
26/4/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्रीमती तारावती
पत्नी श्री राजेन्द्र
पेशा गृहिणी
निवासी उसरी प.बिजनौर त.व जि-लखनऊ

क्रेता

श्री परीक्षित
पुत्र श्री सर्वजीत
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम कपेरा मदारपुर मोहनलालगंज लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सुरेश वर्मा
पुत्र श्री राम प्रसाद वर्मा
पेशा व्यापार
निवासी एफ आई गंगा सागर काम्पलेक्स नरही लखनऊ
व श्री संजय कुमार
पुत्र श्री स्व.सन्तराम
पेशा व्यापार
निवासी सैनाई धंजेहरा लखनऊ
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय
उ.नि.मोहनलालगंज
लखनऊ
26/4/2012

यह कि केता विकयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विकय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेता भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सौनई कजेहरा के विशिष्ट ग्राम के अर्न्तगत आता है इसलिये निर्धारित सरकिल रेट रू0 18,00,000/— प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.214 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,85,200/— होती है तथा विकय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विकय मूल्य पर ही रू0 1,00,450/— जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी राजमार्ग जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विकेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विकय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विकय पत्र विकेता ने केता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विकेता रू0 20,08,604/— द्वारा चेक संख्या — 428343 दिनांकित 27.04.2012 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

Parikshit

विक्रेता

Registration No.: 4055 Year : 2,012 Book No. : 1

0101 तारावती

राजेन्द्र

उतरी प.बिजनौर त.व जि-लखनऊ

गृहिणी

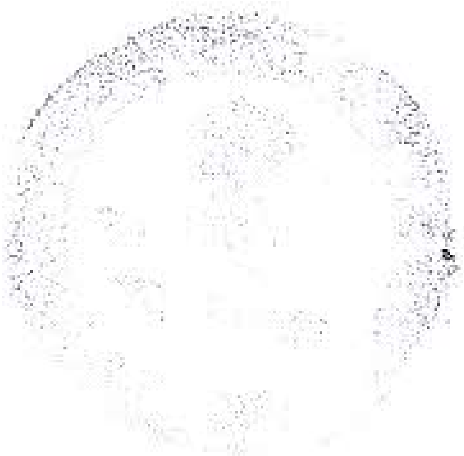

इस प्रकार विकेता को कुल विकय मूल्य रू0 20,08,604/– (रू0 बीस लाख आठ हजार छः सौ चार मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेता स्वीकार करता है तथा अब कुछ भी लेना शेष नही है।

लखनऊ:

दिनांक : 26.04.2012

गवाह :

1.

विकेता

2.

केता

टाईपकर्ता

(दीपक उपाध्याय)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसौविदाकर्ता

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 4055 Year : 2,012 Book No. : 1

0201 परीक्षित

सर्वजीत

ग्राम कपेरा मदारपुर मोहनलालगंज लखनऊ

व्यापार

खसरा नं.
212, 213
0.214 हे

मौजे कमेटरपुर

परगना व तहसील-मोहनलालगंज
जिला- लखनऊ

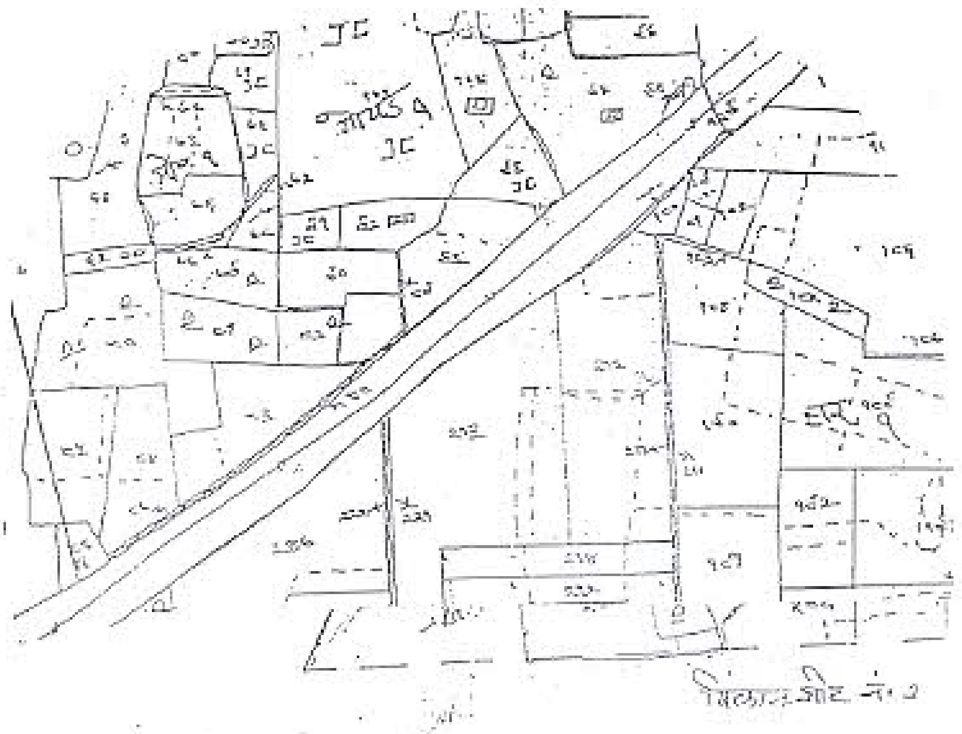

ह0 ताराबती
वि.केता

Parikshit
क्रेता

आज दिनांक **26/04/2012** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **3071**

पृष्ठ सं. **113** से **138** पर क्रमांक **4055**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अर्पिता शर्मा पाण्डेय

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

26/4/2012